47

संख्या : 341 / XVII(1) / 12–42(प्रकोष्ठ) / 2007

प्रेषक,

एम. एच. खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून, दिनांक: 05 नवम्बर, 2012

विषय : अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 125 / XVII(1) / 09–42(प्रकोष्ठ) / 2007, दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा सामान्य दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सामान्य दिशा–निर्देश के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1) से (3); प्रस्तर–6 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1) से (4) एवं प्रस्तर–7 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1), (2) एवं (7); जिनमें क्रमशः अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अंतर्गत योजनाओं की ''कार्ययोजना प्रस्ताव की समय सारणी'', ''स्वीकृति प्रकिया'' तथा ''धनराशि आवटन एवं अभिलेखों का रख–रखाव'' उल्लिखित है, में योजना को सार्थकता एवं तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कतिपय संशोधन किये जाने तथा प्रस्तर–4 में उप प्रस्तर–(4) के बाद उप प्रस्तर–(5) जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अंतर्गत योजनाओं की ''कार्ययोजना प्रस्ताव की समय सारणी'', ''स्वीकृति प्रकिया'' तथा ''धनराशि आवंटन एवं अभिलेखों का रख–रखाव'' में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के साथ संलग्न सामान्य दिशा–निर्देश के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1) से (3); प्रस्तर–6 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1) से (4) एवं प्रस्तर–7 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1), (2) एवं (7) को एतद्द्वारा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :

प्रस्तर–5 का उपप्रस्तर–(1) से (3) :

वर्तमान व्यवस्था	संशोधनोपरांत होने वाली व्यवस्था
(1) प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अन्तिम समय सीमा बजट आबंटन प्राप्त होने की तिथि से एक माह तक होगी।	''(1) प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अन्तिम समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा इसकी सूचना निदशेक, समाज कल्याण एवं निदेशक, जनजाति कल्याण के साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दी जायेगी।
(2) चयन समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में से उस वर्ष में किये जाने वाले कार्य से संबंधित प्रस्तावों के चयन की अन्तिम तिथि उक्त बिन्दु–(1) के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह	(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण अथवा निदेशक, जनजाति कल्याण को प्रस्ताव प्रेषित करने की अन्तिम तिथि उक्त बिन्दु–(1) के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम

की होगी।	तिथि से पन्द्रह दिन की होगी तथा निदेशक, समाज कल्याण अथवा निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि उक्त बिन्दु–(1) के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से एक माह की होगी।
(3) तदोपरान्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाते समय उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने की समय–सीमा भी कार्य की प्रकृति को देखते हुए चयन समिति द्वारा निश्चित की जायेगी।	(3) तदोपरान्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाते समय उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने की समय–सीमा भी कार्य की प्रकृति को देखते हुए शासन अथवा निदेशक, समाज कल्याण/ निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा निश्चित की जायेगी।"

प्रस्तर–6 का उपप्रस्तर–(1) से (4) :

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(1) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में विकास खण्ड से प्राप्त समस्त प्रस्तावों का परीक्षण (Scrutiny) किया जायेगा। मानकों के अनुरूप प्रस्तावों की सूची तैयार कर जिला समाज कल्याण अधिकारी शासनादेश संख्या 563/XVII/08–99(प्रकोष्ठ)/ 2007 दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन एवं अनुश्रण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति के स्तर पर यह भली भॉति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य स्रोत से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी यह पुष्टि करा लेंगे कि सम्बन्धित कार्य की पुनरावृत्ति न होने पाये।	(1) जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों का परीक्षण (Scrutiny) करेंगे तथा मानकों के अनुरूप प्रस्तावों की सूची तैयार कर मूल प्रस्ताव सूची सहित निदेशक, समाज कल्याण अथवा निदेशक, जनजाति कल्याण (जिससे सम्बन्धित हों) को प्रेषित करेंगे। प्रस्तावों को निदेशक को प्रेषित करने से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर यह भली भॉति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य स्रोत से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है तथा योजना की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।
(2) किसी योजना/कार्य को टेकअप किये जाने से पूर्व उक्त कार्य की प्रकृति के अनुरूप सम्बन्धित विभाग से इस आशय की पुष्टि होने कि उक्त कार्य को विभागीय बजट/योजना में उस वर्ष अथवा आगामी वर्ष में लिया जाना/स्वीकृत किया जना सम्भव नहीं होगा, के उपरान्त ही अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत कार्य को लिया जायेगा। जिला समिति की बैठक में खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।	(2) किसी योजना/कार्य को टेकअप किये जाने से पूर्व उक्त कार्य की प्रकृति के अनुरूप सम्बन्धित विभाग से इस आशय की पुष्टि होने कि उक्त कार्य को विभागीय बजट/योजना में उस वर्ष अथवा आगामी वर्ष में लिया जाना/स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं होगा, के उपरान्त ही अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत कार्य को लिया जायेगा।
(3) अवस्थापना सुविधाओं का विकास की इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतः ₹50.00 लाख तक के ही कार्य लिये जायें तथा इससे अधिक के प्रस्ताव/कार्य के स्वरूप एवं प्रकृति के अनुसार सम्बन्धित विभागों की योजनाओं के अन्तर्गत लिये	(3) अवस्थापना सुविधाओं का विकास की इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतः ₹50.00 लाख तक के ही कार्य लिये जायें तथा इससे अधिक के प्रस्ताव/कार्य के स्वरूप एवं प्रकृति के अनुसार सम्बन्धित विभागों की योजनाओं के अन्तर्गत लिये जाने चाहिए, परन्तु

जाने चाहिए, परन्तु अपरिहायZ स्थिति में अथवा किसी विभाग की योजना से आच्छादित नहीं होने वाले अथवा समाज कल्याण विभाग के SC/ST से सम्बन्धित ऐसे विभागीय कार्य जिनके लिए अन्य स्रोतों से धनावंटन न किया गया हो, के प्रकरण में ₹50.00 लाख से अधिक के प्रस्तावों पर भी विशेष परिस्थिति में विचार किया जा सकता है। ₹50 लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी। ₹50 लाख से ₹1.00 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के उपरान्त मण्डलीय आयुक्त द्वारा की जायेगी। ₹1.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं का निर्माण इस मद में नही किया जायेगा अपितु ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें जिला स्तरीय समिति सम्बन्धित विभाग की योजना में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करेगी। इसके अतिरिक्त योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने एवं आगणनों की तकनीकी जॉच के सम्बन्ध में जिला योजनाओं में प्रभावी क्रियान्वयन सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24–3–2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रमशः प्रस्तर–4 एवं 6 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	अपरिहार्य स्थिति में अथवा किसी विभाग की योजना से आच्छादित नहीं होने वाले अथवा समाज कल्याण विभाग के SC/ST से सम्बन्धित ऐसे विभागीय कार्य जिनके लिए अन्य स्रोतों से धनावंटन न किया गया हो, के प्रकरण में ₹50.00 लाख से अधिक के प्रस्तावों पर भी विशेष परिस्थिति में विचार किया जा सकता है।
(4) चयन समिति के द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति योजनान्तर्गत जनपद को आवंटित धनराशि से अधिक है तो प्राप्त प्रस्तावों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा किन्तु किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जोयेंगे। स्वीकृति से छूट गये पात्र प्रस्तावों की भविष्य के लिए कोई प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनायी जायेगी। ऐसे समस्त प्रस्ताव बजट की कमी अथवा प्राथमिकता में न आपाने के कारण वापस कर दिये जायेगें। अर्थात प्रतिवर्ष प्राप्त प्रस्तावों का निस्तारण उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए कर दिया जायेगा। नये वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावों को नये सिरे से प्राप्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।	(4) निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, जनजाति कल्याण जिला समाज कल्याण अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों का अपने स्तर पर भी परीक्षण (Scrutiny) करेंगे तथा मानकों के अनुरूप प्रस्तावों की जनपदवार सूची तैयार कर मूल प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति अंकित करते हुए सूची सहित शासन को प्रेषित करेंगे। शासन स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का एक वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा किन्तु किसी भी दशा में आय–व्ययक में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। स्वीकृति से छूट गये पात्र प्रस्तावों की भविष्य के लिए कोई प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनायी जायेगी। ऐसे समस्त प्रस्ताव बजट की कमी अथवा प्राथमिकता में न आपाने के कारण वापस कर दिये जायेगें। अर्थात प्रतिवर्ष प्राप्त प्रस्तावों का निस्तारण उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए कर दिया जायेगा। नये वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावों को नये सिरे से प्राप्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।"

प्रस्तर–7 का उपप्रस्तर–(1), (2) एवं (7) :

वर्तमान व्यवस्था	संशोधनोपरांत होने वाली व्यवस्था
(1) योजनान्तर्गत धनराशि निदेशक समाज कल्याण को अवमुक्त की जायेगी, जो जनपदों में अनुसूचित जाति की	"(1) योजनान्तर्गत धनराशि निदेशक समाज कल्याण/निदेशक जनजाति कल्याण को

जनसंख्या के अनुपात में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जनपदवार फांट के अनुसार जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे।	अवमुक्त की जायेगी, जो शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों/योजनाओं के अनुसार धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को करेंगे तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी नियमानुसार धनराशि का आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे।
(2) योजना अन्तर्गत ₹5.00 लाख की सीमा तक के निर्माण कार्य स्वंय सम्बन्धित ग्राम पंचायत निष्पादित करेगी जिस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सामान्य वित्तीय एवं लेखा सिद्धांतों का पालन करेगी। धनराशि के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त बाउचर एवं लेखे ग्राम पंचायत में ही सुरक्षित किये जायेंगे और ग्राम पंचायत के प्रधान, एक अनुसूचित जाति के सदस्य एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। शेष निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कार्यदायी एजेंसी का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।	(2) **"विलुप्त"**
(7) इस योजनान्तर्गत जो समस्त अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायेंगी, वे सामान्यतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सम्पत्ति होंगी अथवा किसी राजकीय विभाग की सम्पत्ति होंगी, जो इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का अंकन सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय अथवा राजकीय विभाग द्वारा परिसम्पत्ति पंजिका में किया जायेगा।	(7)इस योजनान्तर्गत जो समस्त अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायेंगी, वे सामान्यतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सम्पत्ति होंगी अथवा किसी राजकीय विभाग की सम्पत्ति होंगी, जो इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का अंकन सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय अथवा राजकीय विभाग द्वारा परिसम्पत्ति पंजिका में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यों का ग्रामवार/विकासखण्डवार/वार्डवार/निकायवार/जनपदवार एवं वर्षवार विवरण सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा भी एक पंजिका में रखा जायगा।"

3– उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के साथ संलग्न सामान्य दिशा–निर्देश के प्रस्तर–4 में उप प्रस्तर–(4) के बाद निम्नानुसार उप प्रस्तर–(5) एतद्द्वारा जोडा जाता है :

"विशेष परिस्थितियों में किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकता तथा औचित्यपूर्ण नियमसंगत मांग को दृष्टिगत रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं का विकास के ₹10.00 लाख से अधिक के प्रस्ताव/कार्य/आगणन जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा सीधे भी तैयार करवाये जा सकते हैं, किंतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य/योजना किसी अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं है तथा यह भी परीक्षण किया जायेगा कि सम्बन्धित ग्राम/क्षेत्र निर्धारित जनसंख्या बहुलता मानक को पूरा करता है अथवा सम्बन्धित मजरा/तोक मानक के अन्तर्गत आता है।"

4– अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 125/XVII(1)/09–42(प्रकोष्ठ)/2007, दिनांक 13 फरवरी, 2009 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 58(P)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 08 अगस्त, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम. एच. खान)
सचिव।

संख्या : 341 (1)/XVII(1)/12–42(प्रकोष्ठ)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण, विधान भवन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी. आर. टम्टा)
अपर सचिव।